

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, प्रत्येक ग्रामीण को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है। वह घर जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं।

कानूनी ढांचा:

मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक के कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। इसे ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मानजनक और लाभकारी रोजगार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख प्रावधान:

रोजगार की गारंटी:

मनरेगा का मुख्य प्रावधान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं। अधिनियम सुनिश्चित करता है

पात्र परिवारों को अपने घरों के नजदीक रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे संकटपूर्ण प्रवासन में कमी आती है और स्थानीय विकास में वृद्धि होती है।

कार्यस्थल निर्माण:

मनरेगा जल संरक्षण, सूखा-रोधी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यस्थलों के निर्माण को अनिवार्य करता है। ये कार्यस्थल ग्रामीण परिवारों के लिए उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं जो ग्रामीण आजीविका और संपत्ति को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का भुगतान:

अधिनियम मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने श्रम के लिए उचित और समय पर पारिश्रमिक मिले। यह राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम मजदूरी के भुगतान पर रोक लगाता है और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या नकद भुगतान के माध्यम से श्रमिकों को मजदूरी के समय पर वितरण का प्रावधान करता है।

सामाजिक लेखापरीक्षा और पारदर्शिता:

मनरेगा सामाजिक लेखापरीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई और शिकायत निवारण प्रणाली जैसे तंत्रों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी पर जोर देता है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है

मनरेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करें, रिकॉर्ड सत्यापित करें, और भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, या श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट करें।

प्रभाव:

मनरेगा ने पूरे भारत में लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण आजीविका, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। इसने घरेलू आय में सुधार करने, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने, संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन संस्थानों को मजबूत करने में मदद की है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, मनरेगा को धन की कमी, वेतन भुगतान में देरी, प्रशासनिक बाधाओं और भ्रष्टाचार और रिसाव के मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्तियों की गुणवत्ता और स्थिरता के साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास और उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं हैं।

निष्कर्ष:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

जबकि मनरेगा ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान करने, इसे मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

जवाबदेही तंत्र, और कार्यक्रम की दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभाव सुनिश्चित करना।